तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी/टिए/5732/2004/जयपुर पुसाराम बनाम रामचन्द्र	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06-06-2018	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थिति :-** श्री जे0के0 पारीक, अधिवक्ता प्रार्थी श्री हंगामी लाल, अधिवक्ता अप्रार्थी **निर्णय** हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम,1955) की धारा 230, के अन्तर्गत विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा दिनांक 16-11-2004 को प्रकरण संख्या 339/94 शीर्षक रामचन्द्र बनाम सरकार में पारित आदेश के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। हमने योग्य अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस निगरानी पर सुनी। प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि वादी/वर्तमान गैर निगराकार संख्या 1 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, दूदू के न्यायालय में इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विरुद्ध राजस्थान सरकार ग्राम खडियाल, तहसील दूदू स्थित आराजी खसरा नम्बरान 1415 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा एवं खसरा नम्बअर 1426 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा कुल रकबा 15 बीघा 09 बिस्वा हेतु प्रस्तुत किया। राज्य पक्ष की ओर से जबाबदावा प्रस्तुत किया जिसमें प्रश्नगत भूमि को राजकीय सीलिंग सिवाय चक भूमि होना बताते हुये वादी के वाद को खारिज करने का निवेदन किया। योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी प्रश्नगत भूमि पर काबिज हो कर काश्त करता आ रहा है, अतः वादी के वाद में प्रार्थी की ओर से पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10, जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई कारण बताये अविधिक रुप से इस प्रार्थना पत्र को निगरानीधीन आदेश से निरस्त किया है। योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रकरण में प्रार्थी का हित निहित है क्योंकि आराजी पर प्रार्थी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी / टिए / 5732 / 2004 / जयपुर पुसाराम बनाम रामचन्द्र	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का कब्जा काश्त है, अतः हितबद्ध पक्षकार होने से प्रार्थी का विचाराधीन वाद में बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित किया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि निगरानी स्वीकार कर निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाये और प्रार्थी को वाद में पक्षकार संयोजित किए जाने का आदेश पारित किया जाये। अप्रार्थी की ओर से योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रकरण में कोई हित निहित नहीं है, ना ही विवादित भूमि का वह खातेदार या काबिज काश्त है। अपने पक्ष की पुष्टि में उसके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पहले से ही उसे नया वाद लाने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है। अतः आवश्यक नहीं है कि वादी की इच्छा के विपरीत प्रार्थी को उसके वाद में पक्षकार बनाया जाए। अतः अधीनस्थ न्यायलाय का निर्णय विधिक प्रावधानों के अनुसरण में है, जिसमें निगरानी के सीमित दायरे के तहत किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित एवं वांछित नहीं है। निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश व अन्य उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि वादी/वर्तमान गैर निगराकार संख्या 1 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, दूदू के न्यायालय में इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विरुद्ध राजस्थान सरकार ग्राम खडियाल, तहसील दूदू स्थित आराजी खसरा नम्बरान 1415 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा एवं खसरा नम्बअर 1426 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा कुल रकबा 15 बीघा 09 बिस्वा हेतु इस आशय के साथ प्रस्तुत किया था कि प्रश्नगत भूमि का वह खातेदार काबिज काश्तकार है और भूमि को राजस्व रिकार्ड में सरकारी भूमि अंकित कर दिया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी द्वारा राज्य सरकार के विरुद्ध वाद दायर किया गया था और वादी द्वारा वर्तमान निगराकार के विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया था। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पक्षकार	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी / टिए / 5732 / 2004 / जयपुर पुसाराम बनाम रामचन्द्र	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बनाये जाने हेतु इस आशय के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि वह प्रश्नगत आराजी पर काबिज काश्तकार है, किन्तु अपने कब्जे की पुष्टि स्वरुप उसके द्वारा कोई साक्ष्य अपने आवेदन पत्र के साथ में प्रस्तुत नहीं की है। चूँकि प्रकरण में निहित भूमि राजकीय भूमि है जिस पर वादी द्वारा वाद दायर किया गया है, अतः प्रार्थी प्रकरण में किसी प्रकार से हितबद्ध या प्रभावित पक्षकार नहीं रहता है। अधीनस्थ न्यायलाय ने रिकार्ड व तथ्यों के आधार पर प्रार्थी के आवेदन पत्र अन्तर्गत आदीश 1 नियम 10, सिविल प्रक्रिया संहिता को खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को पहले ही काफी राहत प्रदान की जा चुकी है कि वह स्वतन्त्र रुप से वाद लाने को स्वतंत्र है। अतः निगरानी के सीमित दायरे को देखते हुये अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः निगरानी सारहीन पाए जाने से **खारिज** की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	